

सत्य प्रतिलिपि



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : तखनऊ, जन्तपद : उन्नाव, तहसील : बांगरमऊ  
वाद संख्या : 4408/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : 1202210690604408  
अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी महाविद्यालय, बनाम सरकार  
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

:-निर्णय:-

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारां 80 अधिनियम-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत आवेदक अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी कनौजीलाल महाविद्यालय ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ जिला उन्नाव के द्वारा उ0प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुये इस कथन के साथ योजित किया है कि आवेदक ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 0.0800हे0 कुल दो किता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार किता रकबा 1.2430हे0 मे हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 पर बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। अन्त मे आवेदक द्वारा ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 रकबा 0.0800हे0 कुल दो किता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार किता रकबा 1.2430हे0 मे हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 वादी के हिस्से की कुल भूमि रकबा 1.0860हे0 को शिक्षण संस्थान प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है। उक्त के संबंध मे तहसीलदार बांगरमऊ, से जांच करायी गयी। तहसीलदार बांगरमऊ ने अपनी जांच आख्या दिनांक 13.08.2022 मे उल्लिखित किया है कि आवेदक ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 0.0800हे0 कुल दो किता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार किता रकबा 1.2430हे0 मे हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 पर बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर विद्यालय बना है, उक्त भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि के लिये नहीं किया जा रहा है एवं पूर्णतः अकृषिक है। अन्त मे ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 रकबा 0.0800हे0 कुल दो किता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार किता रकबा 1.2430हे0 मे हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 वादी के हिस्से की कुल भूमि रकबा 1.0860हे0 हे0 को निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त आवेदक अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी कनौजीलाल महाविद्यालय ग्राम कबीरपुर तहसील बांगरमऊ के नाम उ0प्र0 रा0सं-2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

पृष्ठ संख्या :

कमशः-पृष्ठ2 पर

सत्य प्रतिलिपि

पक्षकार  
उप जिलाधिकारी बांगरमऊ-उन्नाव





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : लखनऊ, जतपद : उन्नाव, तहसील : बांगरमऊ  
वाद संख्या : 4408/2022  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : 17202210690604408  
अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी महाविद्यालय, बनाम सरकार  
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मेरे द्वारा पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार बांगरमऊ की जाँच आख्या तथा साक्ष्यो का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि आवेदक आवेदक ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 0.0800हे0 कुल दो कित्ता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार कित्ता रकबा 1.2430हे0 मे हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 पर बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर अंकित है तथा आवेदन के साथ अन्य सहखातेदारो का अनापत्ति शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि मौके पर विद्यालय बना है तथा प्रश्नगत भूमि पूर्णतः अकृषिक है। आवेदक के द्वारा वित्तीय नियम-संग्रह खण्ड-5, भाग-2 मे (1)प्रतिशत अंश निर्धारित शुल्क मु0 15,204 रु0 चालान संख्या Hm00018 दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से उपकोषागार मे जमा किया गया व राजस्व संहिता की धारा 80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत कृषि भूमि को "अकृषिक भूमि" घोषित किये जाने वाले प्रकरणो मे नियमावली के नियम 85(2) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित कृषि भूमि की दर के आधार पर निकाले गये मूल्यांकन पर 01 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क न्यायिक स्टाम्प के रूप मे प्राप्त किया गया, जो रक्षित पत्रावली है। प्रश्नगत भूमि की अकृषिक उद्घोषणा से सार्वजनिक न्यूसेंस उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 रकबा 0.0800हे0 कुल दो कित्ता रकबा 0.5420हे0 पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार कित्ता रकबा 1.2430हे0 मे आवेदक के हिस्से का क्षेत्रफल 0.5440हे0 वादी के हिस्से की कुल भूमि रकबा 1.0860हे0 हे0 को आवेदक अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी कनौजीलाल महाविद्यालय ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ जिला उन्नाव के नाम अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

-:आदेश:-

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो/अभिलेखो के आधार पर तहसीलदार बांगरमऊ की आख्या दिनांक 13.08.2022 स्वीकार की जाती है। ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 505 पर अंकित गाटा सं0 1585 रकबा 0.4620हे0 व गाटा संख्या 1588 रकबा 0.0800हे0 कुल दो कित्ता रकबा 0.5420हे0 का पूर्ण भाग व खाता संख्या 285 पर अंकित गाटा संख्या 1577 रकबा 0.5830हे0 व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.0440हे0 व गाटा संख्या 1579 रकबा 0.1160हे0 व गाटा संख्या 1580 रकबा 0.5000हे0 कुल चार कित्ता रकबा 1.2430हे0 मे से रकबा 0.5440हे0 कुल आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 1.0860हे0 को आवेदक अनिल कुमार प्रबन्धक श्रीमती यदुराई देवी कनौजीलाल महाविद्यालय ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील बांगरमऊ जिला उन्नाव के नाम धारा 80 अधि0उ0प्र0राजस्वसंहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखागार हो।

दिनांक:- 23/08/22

पृष्ठ संख्या :

